कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा डॉ. सत्यदेव उपाध्याय, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुल्लाना, बांदीकुई, दौसा का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागोडा बेरा, पाटोदी, जिला बाडमेर किया गया था जिसके विरूद्ध डॉ. सत्यदेव उपाध्याय द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3777/2019 डॉ. सत्य देव उपाध्याय बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3777/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2019 द्वारा अपीलार्थी को रिक्त पद दर्शाते हुए अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावदेन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने तथा उनके अभ्यावेदन निस्तारण तक कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण पर बल नहीं दिये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपना पदस्थापन उप प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,(डाईट) बसवा जिला दौसा (प्रधानाचार्य समकक्ष पद) पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतया दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैन्सर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परितक्यता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त स्थानांतरण आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानांतरण किए जाने के निर्देश प्राप्त थे । अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता जिससे उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सके । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह अपने अधीन राज्य सेवा के कार्मिकों को कब व कहां स्थानांतरित करें ।

उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आधारों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री सत्यदेव उपाध्याय द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावदेन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है । श्री उपाध्याय को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में अपने स्थानांतरित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी । संबंधित सूचित हो ।

(हिमांशु गुप्ता) 20/1
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/ सत्यदेव उपाध्याय/ 3777/2019 दिनांक 23/1/20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/जोधपुर संभाग।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाडमेर/दौसा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बाडमेर/दौसा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. डॉ. सत्यदेव उपाध्याय, सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner